संख्या–भा0स0 11/14–2–2019–800 (176)/2018

प्रेषक,

डा0 दीपक कोहली,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 26 **फरवरी , 2019**

विषयः– रामपुर में टाण्डा-बाजपुर मार्ग किमी0 65 के चैनेज 64.463 की बायी पटरी पर ग्राम चन्दपुरा सीकमपुर के खसरा सं0267 व 270 पर इंडियन आयल कारपो0लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण् हेतु 0.086018 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षो के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–929/रामपुर/34871/2018 दिनांक 31–10–2018 एवं पत्र संख्या–1793/रामपुर/34871/2018 दिनांक 17–12–2018 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि रामपुर में टाण्डा-बाजपुर मार्ग किमी0 65 के चैनेज 64.463 की बायी पटरी पर ग्राम चन्दपुरा सीकमपुर के खसरा सं0267 व 270 पर इंडियन आयल कारपो0लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण् हेतु 0.086018 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षो के पातन की अनुमति मांगी गयी हैं।

2– विषयगत प्रकरण से सम्बंधित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–II/FC/ROC/95-2015/Part –VI/638, दिनांक 18-2-2019 में प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुक्रम में प्रस्ताव की एक प्रति मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 दीपक कोहली)
उप सचिव।

संख्या–भा0स0 11(1)/14–2–2019–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– जिलाधिकारी, रामपुर।
3– प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।
4– प्रबंधक (रिटेल सेल्स), इण्डियन आयल कार्पो0, बरेली. मण्डल कार्यालय, 35–ए, सिविल लाईन, कमला नेहरू मार्ग, बरेली।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
उप सचिव।